

राधाबल्लभ चुन्नीलाल अग्रवाल बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(अग्रवाल कन्या शिक्षा सभा (रजि.), मथुरा द्वारा स्थापित एवं संचालित)

("NAAC" Accredited B+ College)

उत्कृष्ट शिक्षा के 54 स्वर्णिम वर्ष



डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध स्नातक
तथा स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध केन्द्र

2025-26

प्रवेश विवरणिका

वृन्दावन गेट, मथुरा

मूल्य : 400.00

स्तवन

नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्।
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।।

प्रार्थना

हे जगन्नाता विश्व विधाता, हे सुख शान्ति निकेतन हे।
प्रेम के सिन्धु, दीन के बन्धु, दुःख दारिद्र्य विनाशन हे।
नित्य अनन्त अखण्ड अनादि, पूर्ण ब्रह्म सनातन हे।
जगत्आश्रय जगत्पति जगत्वन्दन, अनुपम अलख निरंजन हे।
प्राण-सखा त्रिभुवन प्रतिपालक, जीवन के अवलम्बन हे।

विद्यालय गान

हमारा विद्यालय अपना, हमारा विद्यालय अपना।
जहाँ बरसती सतत् कृपा, श्री राधा रमण के विग्रह की,
जहाँ चमकती ज्ञान-शिखा, सत् अध्यापन के माध्यम की,
जहाँ निखरती कन्या काया, नैतिक-शिक्षा के बल की,
जहाँ प्रकटती गुप्त त्रिवेणी, पुरुषार्थ के निज बल की।
ऐसे विद्यालय को देते, हम सब कुछ अपना।
हमारा विद्यालय अपना, हमारा विद्यालय अपना
सत्यं वद, धर्मम् चर का, यहाँ पाठ पढ़ाया जाता है,
'योगः कर्मसु कौशलम्' का मार्ग दिखाया जाता है।
'सत्यं शिवम् सुन्दरम्' के, गुरु मंत्र यहाँ पर गूँजते,
'विद्या ददाति विनयं' को, यहाँ सच्चे दिल से पूजते।
'तमसो मा ज्योतिर्गमय' का, हो पूरा सपना,
हमारा विद्यालय अपना, हमारा विद्यालय अपना।

आर. सी. ए. बालिका (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय, मथुरा

परिचय

राधाबल्लभ चुन्नीलाल अग्रवाल बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना 4 अक्टूबर 1971 को हुई थी। तब से ही यह कन्या शिक्षा को समर्पित अग्रवाल कन्या शिक्षा सभा के सुयोग्य संचालन में संचालित है। सफलता के नित नए सोपान चढ़ते हुए इस महाविद्यालय को पिछले 54 वर्षों में मथुरा जनपद में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। विविध सांस्कृतिक एवं शैक्षिक प्रतियोगिताओं में यहाँ की विजयी छात्राओं ने मथुरा नगरी को गौरव प्रदान किया है। महाविद्यालय का परीक्षाफल लगभग शत-प्रतिशत रहता है। ऋषि पतंजलि के अष्टांग योग साधन पर आधारित शिक्षाध्यापन एवं छात्राओं के सर्वांगीण विकास पर व्यक्तिगत ध्यान देना इस महाविद्यालय का वैशिष्ट्य है। महाविद्यालय में बी.ए., बी.एस-सी., बी.सी.ए., बी. कॉम. तथा एम. ए. और एम. कॉम की कक्षाओं के अध्यापन की व्यवस्था है। पिछले दो सत्रों से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही अंग्रेजी, संस्कृत एवं समाजशास्त्र में शोध-अध्ययन भी कराया जा रहा है। सुयोग्य प्रवक्ताओं के अथक प्रयास एवं निरन्तर सुव्यवस्थित कक्षाएँ होने का ही परिणाम है कि महाविद्यालय मथुरा जनपद में विशेष ख्याति अर्जित कर चुका है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) द्वारा प्रतिष्ठित B+ Grade प्राप्त, अभी तक यह जनपद का एक मात्र NAAC मूल्यांकित अशासकीय महाविद्यालय है।

प्रमुख विशेषतायें

1. शिक्षा सम्बन्धी विशिष्ट जीवन, अध्ययन, अध्यापन तथा छात्राओं की व्यक्तिगत देखभाल आदि इस महाविद्यालय की अनन्य विशेषतायें हैं।
2. महाविद्यालय संस्कार युक्त उच्च-शिक्षा पर बल देता है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का समुचित प्रबन्ध भी महाविद्यालय द्वारा किया जाता है।
3. महाविद्यालय के अन्दर तथा बाहर छात्राओं पर विशेष निगरानी रखी जाती है। शिक्षिकाओं और छात्राओं के निकट सम्बन्ध तथा स्वस्थ सामूहिक जीवन की प्रेरणा इस महाविद्यालय की प्राथमिकताएँ हैं।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वित्तीय सहायता से महाविद्यालय में कम्प्यूटर प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है।
5. महाविद्यालय में रोजगार परक व्यवसायिक पाठ्यक्रमों/कम्प्यूटर प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है।
6. महाविद्यालय में छात्राओं की सुविधा के लिये शुद्ध एवं ठण्डा पानी (आर.ओ.प्लांट व चिलर) व कैंटीन की सुविधा है।
7. छात्राओं की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण परिसर में सीसीटीवी कैमरे की सहायता से निगरानी की जाती है।
8. सम्पूर्ण प्रांगण में कुछ विशेष स्थानों पर वाई-फाई सुविधा भी उपलब्ध है।
9. महाविद्यालय में कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय में छात्राओं के लिये लगभग 23,000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं।
10. छात्राओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा देने के उद्देश्य से लैंग्वेज लैब व कम्प्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही समस्त प्रयोगात्मक विषयों में आधुनिक एवं सुव्यवस्थित प्रयोगशालाओं की सुविधा भी है।

उपलब्ध पाठ्यक्रम

महाविद्यालय में तीन संकायों – विज्ञान, वाणिज्य एवं कला में शिक्षण की समुचित व्यवस्था है। इनमें कुल मिलाकर 19 विभाग हैं, जिनमें से वाणिज्य संकाय में 3 समूहों तथा कला संकाय के 5 विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर भी शिक्षा की व्यवस्था है।

स्नातक स्तर पाठ्यक्रम

स्नातक प्रथम वर्ष में सभी संकायों में प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बी.ए./बी.कॉम/बी.एस-सी. प्रथम वर्ष में विषय चयन –

1. सर्वप्रथम छात्राएं महाविद्यालय में अपने संकाय (विज्ञान / कला / कॉमर्स) का चुनाव करेंगी।
2. तत्पश्चात विज्ञान (Science) की छात्राएं अपने संकाय से दो मेजर विषयों का चुनाव करेंगी।
(ZBC) जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा रसायन विज्ञान
अथवा
(PCM) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित
अथवा
(PSM) भौतिक विज्ञान, सांख्यिकी तथा गणित
अथवा
(PMCS) भौतिक विज्ञान, गणित तथा कम्प्यूटर साइंस
3. वाणिज्य (Commerce) की छात्राओं के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एकीकृत पाठ्यक्रमान्तर्गत संचालित विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।
4. कला संकाय (Arts) की सभी छात्राएं पहले दो विषयों (Major) का चुनाव निम्न में से किसी एक Table या दो Table से करेंगी।

Table (A)	Table (B)	Table (C)
कला एवं मानविकी विषय	भाषा विषय	ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय
1. राजनीति शास्त्र	1. हिन्दी	1. चित्रकला
2. इतिहास	2. अंग्रेजी	2. संगीत गायन
3. समाजशास्त्र या गृहविज्ञान	3. संस्कृत	या
4. अर्थशास्त्र या शारीरिक शिक्षा		संगीत वादन
5. मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र		
5. स्नातक प्रथम वर्ष बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. की सभी छात्राओं को उपरोक्त के अतिरिक्त एक विषय (Minor) निम्न में से लेना होगा –		
(क) हिन्दी	(ख) अंग्रेजी	(ग) संस्कृत
(ङ) संगीत गायन	(च) चित्रकला	(छ) गृहविज्ञान
		(ज) संगीत वादन
		(झ) अर्थशास्त्र
परन्तु यह विषय (Minor के रूप में) वही लिया जा सकता है, जो उन्होंने मुख्य विषय के रूप में न चुना हो।		

समय सारिणी की बाध्यता के कारण छात्राएँ समाजशास्त्र या गृहविज्ञान या संगीत गायन में से एक विषय, शिक्षाशास्त्र या मनोविज्ञान या संस्कृत में से एक विषय, राजनीतिशास्त्र या संगीत वादन व चित्रकला या इतिहास में से केवल एक विषय का चयन कर सकती है। विषय चयन में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर छात्राएं प्रवेश समिति में शिक्षिकाओं के सहयोग व मार्गदर्शन से विषयों का चयन करें।

7. सभी संकाय की छात्राओं को प्रत्येक सेमेस्टर में एक को-करीकुलर (Co-Curricular) विषय भी पढ़ना अनिवार्य है। ये विषय निम्न हैं –
- | | | |
|------------------|---|---------------------------------|
| प्रथम सेमेस्टर | – | खाद्य पोषण एवं स्वच्छता |
| द्वितीय सेमेस्टर | – | प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य |
| तृतीय सेमेस्टर | – | मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन |

चतुर्थ सेमेस्टर	—	शारीरिक शिक्षा एवं योग
पंचम सेमेस्टर	—	विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस
षष्ठम् सेमेस्टर	—	संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास

व्यावसायिक पाठ्यक्रम/ सुविधाएं

1. प्रत्येक छात्रा को प्रथम दो वर्षों के प्रत्येक सेमेस्टर में एक रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational / Skill Development Courses) पूर्ण करना अनिवार्य है। जिसके लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 250/- प्रति सेमेस्टर अतिरिक्त शुल्क देय होगा।
2. महाविद्यालय में कम्पनी सैक्रेटरी (Company Secretary) पाठ्यक्रम के लिए ICSI (Institute of Company Secretaries of India) द्वारा अधिकृत अध्ययन केन्द्र भी स्थापित है।
3. प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक छात्राओं के लिए कोई एक कौशल विकास पाठ्यक्रम पढ़ना अनिवार्य है। वर्तमान सत्र में महाविद्यालय में निम्नलिखित कौशल विकास पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं –

1. योगा इंस्ट्रक्टर	(Yoga Instructor)	4 semester
2. सेल्फ इम्प्लाइड टेलर	(Self Employed Tailor)	4 semester
3. कम्प्यूटर ऑफिस मैनेजमेंट	(Computer Office Management)	4 semester
4. पब्लिक रिलेशन ऑफिसर	(Public Relation Officer)	4 semester
5. बी.कॉम. की छात्राओं के लिये व्यावसायिक कार्यक्रम निम्नवत रहेंगे –		
एम. एस. ऑफिस एवं डिजिटल मार्केटिंग	(MS Office & Digital Marketing)	1st semester
फिनेंशियल अकाउंटिंग एवं टैली	(Financial Accounting & Tally)	2nd semester
जीएसटी	(GST)	3rd semester
डिजिटल मार्केटिंग	(Digital Marketing)	4th semester

उपरोक्त सभी पाठ्यक्रम डॉ. बी. आर. आम्बेडकर वि.वि. आगरा द्वारा अनुमोदित हैं। छात्राएं उपरोक्त में से एक कोर्स चारों सेमेस्टर में भी कर सकती हैं।

नवीन सत्र में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को निम्न Co-curricular पढ़ने होंगे।

प्रथम सेमेस्टर	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
द्वितीय सेमेस्टर	मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन
तृतीय सेमेस्टर	शारीरिक शिक्षा एवं योग
चतुर्थ सेमेस्टर	सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता

बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रथम तीन सेमेस्टर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ना होगा। छात्राओं के लिए निम्नलिखित व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे –

1. योग इंस्ट्रक्टर	2. कम्प्यूटर ऑफिस मैनेजमेंट
बी.कॉम. की छात्राओं के लिए	
1. एम.एस. ऑफिस एवं डिजिटल मार्केटिंग	2. फिनेंशियल अकाउंटिंग एवं टैली
	3. जी.एस.टी.

बी.सी.ए. कार्यक्रम

महाविद्यालय में पिछले सत्र से तीन वर्षीय अर्थात् 6 सेमेस्टर का बी.सी.ए. (BCA) कार्यक्रम भी प्रारंभ हो चुका है। जिसके लिए न्यूनतम योग्यता विज्ञान/कॉमर्स से इण्टरमीडिएट है।

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

महाविद्यालय में एक वर्षीय पत्रकारिता स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित है। जिसके लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है।

स्नातकोत्तर/शोध पाठ्यक्रम

कला संकाय

- | | | |
|--------------------|----------------|-------------|
| 1. हिन्दी | 2. संस्कृत | 3. अंग्रेजी |
| 4. राजनीति शास्त्र | 5. समाजशास्त्र | |

महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विभागों में शोधकार्य की भी समुचित व्यवस्था है।

वाणिज्य संकाय

एम.कॉम. स्तर पर निम्नलिखित तीनों समूहों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है –

1. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप
2. एकाउण्ट्स एण्ड लॉ ग्रुप
3. एप्लाइड बिजनेस इकॉनोमिक्स ग्रुप

नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी स्नातकोत्तर छात्राओं को प्रथम वर्ष में एक माइनर विषय अपने संकाय से अलग चुनना है। महाविद्यालय में भाषा विषयों तथा एम.काम. की छात्राओं के लिये समाजशास्त्र माइनर विषय के रूप में तथा मानविकी एवं एम.कॉम. विषयों के लिये हिन्दी पत्रकारिता माइनर विषय के रूप में उपलब्ध है।

महाविद्यालय के सामान्य प्रवेश नियम

1. प्रवेश के समय सभी छात्राओं को हाईस्कूल व इण्टर की मूल अंक तालिकाओं के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिए स्नातक स्तर की अंक तालिका लाना अनिवार्य है।
3. प्राचार्या द्वारा नामित प्रवेश समिति अथवा प्राचार्या को यह अधिकार होगा कि वे असाधारण परिस्थिति में किसी भी छात्रा को प्रवेश देने से इन्कार कर दें अथवा किया गया प्रवेश निरस्त कर दें।
4. बी.ए. प्रथम वर्ष में छात्राओं को इण्टरमीडिएट में लिए गए विषयों के अनुसार तथा योग्यता सूची (मेरिट) के आधार पर ही विषय दिए जायेंगे।
5. छात्रायें प्रवेश के समय विषयों का चयन सोच समझ कर करें। एक बार विषय का चयन करने के पश्चात् विषय परिवर्तित करना असम्भव होगा।
6. नये सत्र में बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली छात्राओं एवं अभिभावकों के लिये 24 जुलाई 2024 (सम्भावित तिथि) को एक Orientation कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। जिसमें सभी छात्राओं तथा अभिभावकों की उपस्थिति अनिवार्य है।
7. प्रवेश लेते समय प्रत्येक छात्रा को अपने पूर्व विद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट के प्राप्तांक की फोटो कॉपी, आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. महाविद्यालय शुल्क को जमा करने के लिए स्वीकृति-पत्र प्रवेशार्थी को तभी मिलेगा, जबकि प्राचार्या या प्रवेश समिति के समक्ष साक्षात्कार हो जायेगा।
9. शिक्षा सत्र के मध्य में यदि कोई छात्रा कालेज छोड़कर किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेगी, तो उसे पूरे सत्र के देय शुल्क जमा करने होंगे।
10. प्रवेश की अन्तिम तिथि, विद्यालय द्वारा घोषित पंजीकरण की अन्तिम तिथि तथा शुल्क आदि जमा करने की तिथि विद्यार्थी स्वयं महाविद्यालय से मालूम करें। परीक्षाफल/पुनः परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने

के 15 दिन तक प्रवेश किये जा सकेंगे। इसके बाद प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय से लिखित अनुमति लेनी होगी।

किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया –

- विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास (Exit) तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी।
- विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी।
- विद्यार्थी डिग्री पाठ्यक्रम के बीच में निकास के बाद अगले स्तर में पुनः प्रवेश ले सकेगा।

डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि –

- विद्यार्थी जिस संकाय से तीन वर्ष में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको डिग्री दी जायेगी एवं तदनुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के prerequisite की आवश्यकता नहीं होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें –

- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 20 प्रतिशत तक यू.जी.सी./शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट ऑनलाईन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड़ सकेंगे। यू.जी.सी. के नियमों के अनुसार ऑनलाईन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे।
- विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय को अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है।
- यदि कोई योग्य छात्र कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- विद्यार्थी को कोर्स के आधार पर पंजीकरण की सुविधा प्राप्त होगी, जिस आधार पर वे किसी एक कोर्स का अध्ययन कर सकेगा।
- अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा। एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा।

परीक्षा व्यवस्था –

- सभी प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेंटाईल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।
 - सभी विषयों की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत् आंतरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी।
 - सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को-करीकुलर विषय की परीक्षा बहु विकल्पीय (MCQ) आधार पर होगी।
5. अग्रेतर यह अवगत कराना है कि उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएं, प्रबंधन, कृषि तथा विधि संकायों पर लागू होंगी।

6. स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के 46 क्रेडिट होंगे जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र (Certificate) प्रदान किया जा सकता है।
द्वितीय वर्ष के 92 क्रेडिट होंगे, जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर डिप्लोमा (Diploma) प्रदान किया जा सकता है।
तृतीय वर्ष के 138 क्रेडिट होंगे जिसमें दो प्रमुख विषय, दो सह-पाठ्यक्रम/एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree) प्रदान की जायेगी।
चौथे वर्ष के 194 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध के साथ स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree with Research) प्रदान की जायेगी।
पांचवें वर्ष के 246 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त मास्टर डिग्री (Master's Degree) प्रदान की जायेगी।
छठे वर्ष के उपरान्त Post Graduate Diploma in Research (PGDR) प्रदान किया जा सकता है।
सातवें और आठवें वर्ष में अनुसंधान पद्धति तथा प्रमुख विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त पी.एच.डी. (Ph.D.) की उपाधि प्रदान की जायेगी।
7. प्रत्येक विषय के प्रमुख कोर पाठ्यक्रमों के लिए सामान्यतः न्यूनतम 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम उपरोक्तानुसार लागू किया जायेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रत्येक सेमेस्टर के समान पेपर शीर्षक होंगे। यूनिफॉर्म क्रेडिट और ग्रेडिंग सिस्टम का निर्धारण किया जायेगा। प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
8. पहले दो वर्षों में कौशल विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके संबंध में शासन के पत्र संख्या-60 सत्तर-3-2021-08 (35)/2020, दिनांक 22.02.2021 द्वारा अवगत कराया गया है।
9. अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तथा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर समयबद्ध रूप से कार्य करते हुए 30 जून 2021 तक इन्हें पूर्ण कर लिया जाए, साथ ही एम.एस.एम.ई., आई.टी.आई. और पॉलीटेक्निक के साथ एम.ओ.यू. किये जाये ताकि विद्यार्थियों को शैक्षिक लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एवं संसाधनों में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रभावी योजना तैयार कर कार्यवाही की जानी चाहिए।
10. नवीन सत्र में प्रवेश लेने वाली छात्राओं के प्रथम वर्ष में 40 क्रेडिट होंगे, जिनमें दो प्रमुख विषय, एक सह पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे। जिसे उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

प्रवेश नियमावली सत्र 2025-26

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा आवासीय संस्थानों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, प्रबन्धन, लाइफ साइंसेज, इंजीनियरिंग तथा विधि संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

- (अ) व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा बीएससी (एग्रीकल्चर), एमएससी (एग्रीकल्चर), एमएड, बीपीएड, एमएसडब्लू एवं इसके अतिरिक्त जिन पाठ्यक्रमों में आवेदन सीटों से दोगुने अधिक प्राप्त होंगे, वहाँ पर प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भी किये जा सकते हैं।
 - (ब) बीए, बी.कॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम एवं एमएस सी में प्रवेश महाविद्यालय अपने स्तर से लेगा। परन्तु सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के Samarth Admission Portal के माध्यम से ही किये जायेंगे एवं स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश Four Year under Graduate Programme (FYUGP) के अनुरूप होंगे। (जिसका अध्यादेश संलग्न है।) तथा बीबीए, बीसीए एवं अन्य एकल विषय वाले पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश हेतु यही प्रक्रिया लागू की जा सकती है।
 - (स) प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिसशिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।
 - (द) विद्यार्थी को प्रवेश के समय बीए, बीएससी, बीकॉम आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे/अष्टम सेमेस्टर) तक कर सकता है।
 - (ध) स्नातक/परास्नातक स्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों की योग्यता गणना एवं शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय स्तर पर किया जायेगा।
- ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न Regulatory Bodies द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा।
 - (अ) अभ्यर्थी केवल एक बार ही समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा एवं शुल्क भी एक बार ही जमा

होगा। उसी रजिस्ट्रेशन से अभ्यर्थी एक या एक से अधिक Programme का चयन कर सकता है। प्रत्येक प्रोग्राम को चयन करने पर उसको प्रोग्राम का SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त होगा। Samarth Registration Number शुल्क स्नातक स्तर के एवं अन्य पाठ्यक्रमों (जिनकी अर्हता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है) हेतु रु. 400/- तथा परास्नातक एवं अन्य पाठ्यक्रम (स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त किये जाने वाले पाठ्यक्रम जैसे – बीपीएड, बीएड, एमएड आदि) के लिए भी रु. 400/- होगा तथा अभ्यर्थी केवल एक बार ही Samarth Registration Number का शुल्क जमा करेगा।

(ब) छात्र द्वारा महाविद्यालय में Reporting के समय सभी Documents की स्वयं प्रमाणित प्रतियाँ मूल प्रति से सत्यापित लेकर महाविद्यालय में जमा करनी होगी।

(स) सत्र 2025-26 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश Samarth Admission Portal (समर्थ प्रवेश पोर्टल) के माध्यम से किये जायेंगे, इस सरल प्रणाली के अन्तर्गत अभ्यर्थी सात चरणों क्रमशः –

1. समर्थ रजिस्ट्रेशन नम्बर, 2. समर्थ आई.डी. से लॉगिन, 3. प्रोफाइल, 4. अन्य विवरण/ निजी जानकारी, 5. फोटो व हस्ताक्षर, 6. पाठ्यक्रम/महाविद्यालय/संस्थान व विषय का चयन/भुगतान करना/फार्म प्रिंट Online माध्यम से पूर्ण करके सातवें चरण में जिस आवासीय संस्थान/महाविद्यालय को चुनना चाहता है। वह वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी अर्हतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। छात्र आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र है, जिसके लिए उसे केवल एक बार ही समर्थ रजिस्ट्रेशन नम्बर कराना अनिवार्य है। संस्थान/ महाविद्यालय केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेंगे जो Samarth Admission Portal की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इस सम्बन्ध में आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4. आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्व की भाँति योग्यता सूची के अनुसार पूर्ण की जायेगी। यथा अभ्यर्थी की रिपोर्टिंग OTP द्वारा Admit प्रक्रिया को पूर्ण किया जायेगा। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद प्रत्येक आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय Samarth की Admin Login ID पर जाकर अभ्यर्थी की सीट Confirm भी करेंगे।

सामान्य निर्देश

1. (अ) 1. प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका “प्रोस्पेक्टस” तैयार करायेगा, निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा। सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेंगे तथा विवरण पुस्तिका का अधिकतम मूल्य 400/- होगा।

2. महाविद्यालयों द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क 10/- के स्थान पर रु. 25/- लिये जाने की संस्तुति की गयी।

(ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2025-26 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21

प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों तथा 3 प्रतिशत स्थान दिव्यांगजन के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) तथा श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अंतर्गत ही) तथा EWS हेतु स्वीकृति सीटों के सापेक्ष अतिरिक्त रूप से 10 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेगी। दिव्यांगजन के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

- (स) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा महाविद्यालय की वेबसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा।
- (द) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेशोपरांत यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर 15 दिवस में रद्द कराना होगा तथा महाविद्यालय द्वारा उसे केवल 90 प्रतिशत शुल्क ही वापिस किया जायेगा। यदि कोई विद्यार्थी 01 माह के अंतराल में किसी महाविद्यालय से अपना प्रवेश रद्द कराता है तो उसे केवल 75 प्रतिशत शुल्क महाविद्यालय द्वारा वापिस किया जायेगा।
2. (अ) सत्र 2025-26 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष / सेमिस्टर में ही प्रवेश दिये जायेंगे तथा रु. 300/- नामांकन शुल्क व रु. 300/- उपाधि शुल्क भी छात्र द्वारा देय होगा। इसके अतिरिक्त प्रवेश के समय रु. शुल्क भी प्रथम वर्ष में छा. द्वारा देय होगा। जो कि विश्वविद्यालय को महाविद्यालय द्वारा दिया जायेगा। उसी अनुपात में महाविद्यालय अपने उपयोग हेतु इन शुल्कों को प्रवेश शुल्क के साथ लेंगे। **नामांकन शुल्क एवं उपाधि शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्क महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष लिये जायेंगे।**

नोट – सांस्कृतिक शुल्क, क्रीड़ा शुल्क तथा Incubation सुविधा / ICT सुविधा शुल्क प्रतिवर्ष देया होगा। महाविद्यालय में Incubation सुविधा/ICT सुविधा शुल्क का एकाउंट प्राचार्य द्वारा संचालित किया जाना समीचीन होगा।

- (ब) यदि कोई अभ्यर्थी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम (थल्ट के अन्तर्गत) में प्रवेश लेने के प्रथम वर्ष बाद या द्वितीय वर्ष बाद पाठ्यक्रम को छोड़ता है तो उसको एनईपी-2020 के अनुरूप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा। इसके उपरांत यदि वह अभ्यर्थी पुनः अपने पाठ्यक्रम को उपाधि हेतु पूर्ण करना चाहता है तो उसको पुनः SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त करना होगा एवं पुनः प्रवेश के समय उपाधि के लिए रु. 300/- का शुल्क जमा करना होगा। यदि वह अभ्यर्थी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेने के बाद किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी अन्य पाठ्यक्रम को करने के बाद पुनः अपनी उपाधि को पूर्ण करना चाहता है तो उसको विश्वविद्यालय से पुनः SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त करना होगा एवं इसको पुनः नामांकन शुल्क व अन्य शुल्क प्रवेश के समय जमा करने होंगे।

- (स) एम.ए. में प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा किसी भी विषय के साथ स्नातक 45 प्रतिशत अंकों के साथ

- उत्तीर्ण किया गया हो, प्रयोगात्मक विषय की स्थिति में Practical एवं Theory में पृथक् पृथक् रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परास्नातक स्तर के प्रयोगात्मक विषय में प्रवेश हेतु छात्र अथवा छात्रा द्वारा स्नातक स्तर पर वह विषय अन्य विषयों के साथ एक विषय के रूप में पढ़ा गया होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
- (द) एम.कॉम. में प्रवेश हेतु बी.कॉम. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- (य) सभी संकायों की प्रथम वर्ष के लिए SRN (Samarth Registration Number) आवेदन-पत्रों के पंजीकरण की सम्भावित तिथि निम्नानुसार होगी
- स्नातक प्रथम में (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि : 05 मई 2025
 - स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 15 अगस्त, 2025
 - स्नातक प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 01 जुलाई, 2025
 - स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष पंजीकरण / प्रवेश की अन्तिम तिथि : 15 अगस्त, 2025
- उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहे।
3. (अ) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र एन.ई.पी. 2020 के नियमानुसार प्रवेश लेंगे।
- (ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।
- (स) नई शिक्षा नीति 2020 में व्यक्तिगत परीक्षा के सम्बन्ध में कोई भी प्राविधान नहीं है।
- (द) नई शिक्षा नीति 2020 में प्रवेश हेतु आर्हता परीक्षा से अन्तराल के सम्बन्ध में कोई भी नियम नहीं है।
- (य) कोई भी छात्रा एक पाठ्यक्रम में अर्थात् बीए/बीएससी/बीकॉम/बीएससी (कृषि)/बीएड इत्यादि में एक बार उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् पुनः उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश का अधिकारी नहीं होगी। परन्तु स्नातकोत्तर नियमानुसार एक से अधिक विषयों में कर सकते हैं।
- (र) एन.ई.पी. 2020 के अनुसार प्रवेशित विद्यार्थियों पर सभी नियम एन.ई.पी. 2020 के अनुसार अनुमन्य होंगे।
4. (अ) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में उपाधि हेतु निम्न व्यवस्था रहेगी।
1. विद्यार्थी के लिए Certificate in Faculty का Course Module अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्ह क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Diploma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।
 2. विद्यार्थी के लिए Diploma in Faculty का Course Module अर्थात् तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष (Certificate in

Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 3 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्ह क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा इसके पश्चात् विद्यार्थी अगले-अगले Course Module अर्थात् Bachelor in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

3. विद्यार्थी के लिए Bachelor in Faculty का Course Module अर्थात् पांचवे एवं छठवें सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 3 वर्ष) निर्धारित हैं इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (पांचवे एवं छठवें सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा।
4. किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिए निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्रा के लिए पृथक रूप से पुनः परीक्षा अथवा बैंक पेपर परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।
5. प्राचार्य को प्रवेश मामले में डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय-19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश-2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होंगे –

Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his/her college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the university and such other directions as may be given to him from time to time by the university. Provided that the principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the university and shall report all such cases to the admission committee forth with.

स्पष्टीकरण : उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया है।
 2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।
6. (अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता निम्न प्रकार होगी –
1. बी.सी.ए./बी.एस.सी. (फिजीकल साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।
 2. बी.एस.सी. (लाइफ साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट बायोलॉजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।
 3. बी.ए./बी.कॉम. के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण।

4. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी ऐजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई, कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश किया जाये।

(ब) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे –

1. उत्तर प्रदेश को भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा एवं अभ्यर्थी की इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के आधार पर उसका मूल निवास माना जायेगा।
2. निर्धारित मेरिट के अंतर्गत पाये जाने की स्थिति में अधिकतम 30 प्रतिशत स्थानों पर बाहर (Other State & Other country) से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। परन्तु यदि निर्धारित संख्या में छात्र/छात्रा नहीं आते हैं तो उसे उत्तर प्रदेश के अर्ह/पात्र छात्र/छात्राओं से निर्धारित सीटों को भर दिया जायेगा।
3. विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेंट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृहमंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुल सचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे –

1. अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
2. प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम प्राचार्य—चक्रानुसार।
3. अधिष्ठाता शैक्षिक एवं अधिष्ठाता विदेश छात्र।

नोट – कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

4. समय—समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

(स) शैक्षिक अंकों की गणना –

(क) स्नातक कक्षाएँ –

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों/ग्रेड का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षाएँ –

1. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।

नोट – विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनीवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडीकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सेकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुल योग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षाएं :

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए
 - (अ) प्रथम विजेता होने के लिए 5 अंक
 - (ब) द्वितीय विजेता के लिए 4 अंक
 - (स) तृतीय विजेता के लिए 3 अंक
 - (द) प्रतिभाग करने के लिए 2 अंक
2. एन.सी.सी. 'सी' सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को
अथवा
एन.सी.सी. 'बी' सर्टीफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण केडिटों को
अथवा
एन.सी.सी. केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में
भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 6 अंक
3. स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री) 5 अंक
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक को 5 अंक
5. बी.कॉम. (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिये योग्यता अंक की गणना करत समय उन प्रवेशार्थियों को 5 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षाएं :

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने:-
 - (अ) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने पर 8 अंक
 - (ब) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने पर 7 अंक
 - (स) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने पर 6 अंक
 - (द) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिये 3 अंक
2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए :-
 - (अ) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने पर 5 अंक
 - (ब) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने पर 4 अंक
 - (स) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने पर 3 अंक
 - (द) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिये 2 अंक

3. एन.सी.सी. 'सी' सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक
अथवा
एन.सी.सी. 'बी' सर्टीफिकेट/जी-1 प्रमाण पत्र धारक केडिटों को 6 अंक
अथवा
एन.सी.सी. केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 3 अंक
4. एन.एस.एस. में 240 घण्टे का कार्य किया तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए 5 अंक
5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। 3 अंक
अथवा
महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तर्विश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हो।
- (अ) प्रथम विजेता होने के लिए 5 अंक
- (ब) द्वितीय विजेता होने के लिए 4 अंक
- (स) तृतीय विजेता होने के लिए 3 अंक
- (द) प्रतिभाग करने के लिये 2 अंक

नोट : उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित / एन.सी.सी. अधिकारी/एन.एस.एस. समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र/रोवर्स रेंजर्स के लिए समन्वयक (रावर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(ग) सभी कक्षाएं :

1. डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंधित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री 17 अंक
2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री (अविवाहित) 10 अंक
3. भारतीय सेना/पैरा मिलिट्री फोर्स/अर्द्धसैनिक बल (पुलिस/पी.एस.सी.) में कार्य करते हुए विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में 17 अंक

टिप्पणी: 1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा यदि यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
2. प्रवेश परीक्षा वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख भी बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट : 1. किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, जब तक सेवा में रहने का अधिकारी था। इस आशय का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

2. उपर्युक्त 1 से 3 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन.सी.सी. अधिकारी/ एन.एस.एस. अधिकारियों द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

3. उपर्युक्त अतिरिक्त अंकों को लाभ अभ्यर्थी को एक से अधिक बार दिया जा सकेगा अर्थात् स्नातक एवं परास्नातक स्तर में प्रवेश पर।

8. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेंगे और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं करेंगे।

(स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और सूचना पट पर दी गई सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन "अपटू-डेट" जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ़ लें। उनका यह भी दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ। उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा ही अभ्यर्थी का होगा।

9. आवेदक यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किए गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

10. नई शिक्षा नीति-2020 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों को समायोजित कर लिया जायेगा।

11. माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 2.10.2021 के अनुपालन में यदि किसी परिवार की एक से अधिक बच्ची (अर्थात् दो सगी बहिनें) परिसर/महाविद्यालय में पढ़ रही हो तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस माफ की जायेगी।

इस नियमावली के निर्गत होने पर प्रवेश सम्बन्धी पूर्व निर्गत अधिसूचनायें/प्रपत्र निरस्त समझे जाये।

कुलसचिव

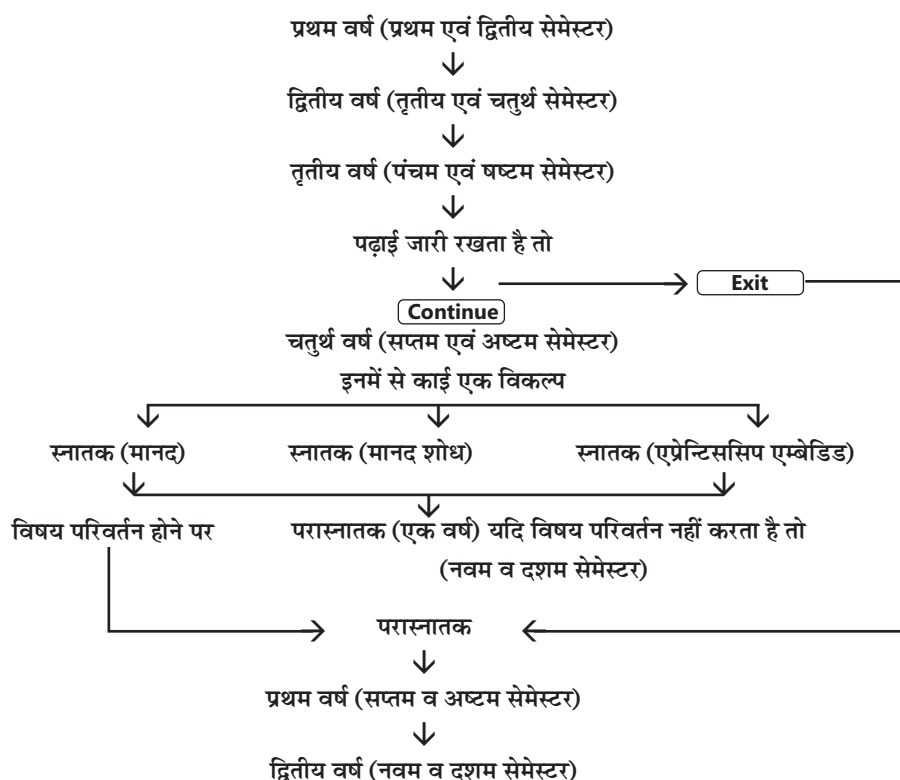
डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

यदि वि. वि. द्वारा उपरोक्त नियमावली में कोई भी संशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो वह सभी छात्रों के लिए बाध्यकारी होगा।

— प्राचार्य

FYUP (Four Year Under Graduate Programme) में प्रवेश संरचना

प्रवेश



प्रवेश प्रक्रिया

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए छात्राओं को सर्वप्रथम डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर **SRN (Samarth Registration Number)** प्राप्त करना अनिवार्य है। तत्पश्चात् उन्हें महाविद्यालय कार्यालय से प्रवेश विवरणिका प्राप्त करके प्रवेश फार्म भरकर पंजीकरण कराना होगा।

समस्त पंजीकृत छात्राओं की योग्यता सूची बनाने के बाद उसे महाविद्यालय के सूचना – पटल पर लगाया जाएगा तथा छात्राओं को योग्यता सूची पर उनके स्थान के अनुसार छात्राओं को प्रतिदिन निर्धारित समय पर प्रवेश समिति के सम्मुख साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।

प्रवेश समिति से साक्षात्कार के समय छात्राओं को समस्त वांछित मूल अभिलेख प्रस्तुत करने अनिवार्य हैं। इसके पश्चात् कार्यालय द्वारा छात्रा के मोबाइल फोन पर एक ओ.टी.पी. भेजा जाएगा जिसके द्वारा कॉलेज में अवगत करने पर ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा। इसके बाद छात्रा के मोबाइल पर शुल्क जमा करने हेतु एक लिंक प्राप्त होगा उस लिंक के माध्यम से छात्रा द्वारा ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। जो छात्राएं ऑनलाइन शुल्क जमा नहीं करा सकती हैं, वे कार्यालय से फीस का चालान प्राप्त कर उसे सैण्ट्रल बैंक, शाखा मसानी में जमा कराने के बाद शुल्क रसीद की एक प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी तभी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्राध्यापकों की प्रवेश समिति का गठन प्राचार्या द्वारा किया जाता है जो प्रवेश हेतु प्राचार्या को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी। प्राचार्या की अनुमति प्राप्त होने पर ही किसी विद्यार्थी का प्रवेश नियमित तथा वैध माना जायेगा।

महाविद्यालय के विशेष नियम

1. छात्रायें शुल्क जमा करने के पश्चात परिचय पत्र प्राप्त कर अनुशासन अधिकारी से हस्ताक्षर करा लें। प्रत्येक छात्रा को प्रतिदिन परिचय पत्र साथ लेकर आना अनिवार्य होगा।
2. विद्यालय परिसर में छात्राओं का मोबाइल फोन लाना वर्जित है। असाधारण परिस्थितियों में प्राचार्या से लिखित अनुमति लेकर ही मोबाइल महाविद्यालय परिसर में लाया जा सकता है। जिसे परिसर के भीतर स्विच ऑफ रखना अनिवार्य है।
3. महाविद्यालय परिसर में छात्राएं शालीन वेशभूषा अर्थात् सलवार सूट, दुपट्टा ही पहनकर आयें। चूड़ीदार, जींस, पैंट, स्कर्ट आदि पहनना वर्जित है।
4. महाविद्यालय परिसर में सभी छात्राओं के लिए सामाजिक दूरी के नियम का पालन अनिवार्य है। परिसर में कहीं भी झुंड बनाकर बैठना, भोजन करना प्रतिबंधित है।
5. सभी छात्राओं को सेनिटाइजेशन के नियमों का पालन करना भी आवश्यक है।

छात्राओं के लिए आवश्यक गणवेश (UNIFORM)

महाविद्यालय की अपनी प्रतीक वेशभूषा है, जिसमें श्वेत साड़ी अथवा सलवार-कुर्ता और नारंगी वर्ण का दुपट्टा होगा। श्वेत साड़ी के साथ नारंगी रंग का ब्लाउज अपेक्षित है। साथ ही सभी छात्राओं को सदैव शालीन वेशभूषा में ही महाविद्यालय में आना अनिवार्य है। बहुत चुस्त कपड़े या खुले गले या बाहों रहित कुर्ते इत्यादि का प्रयोग वर्जित है। छात्रायें काले जूते पहनकर महाविद्यालय आयें। शीतकाल में काला स्वेटर पहनना अनिवार्य है। यह गणवेश नित्य धारण करके आना आवश्यक व अनिवार्य है अन्यथा छात्राएं आर्थिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दण्ड की अधिकारी होंगी। महाविद्यालय गणवेश में सादा सफेद घुटनों तक लम्बा कुर्ता तथा सलवार ही मान्य होगी। किसी भी पारदर्शी कपड़े तथा चिकन आदि के कुर्ते तथा चूड़ीदार पजामा आदि पहनना वर्जित है।

प्रवेश निरस्तीकरण

1. जो विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक अपना प्रवेश कराकर शुल्कादि जमा नहीं करेंगे उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
2. निम्नलिखित कारणों से किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश वर्जित होगा और यदि भूलवश प्रवेश दे दिया गया है तो तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
 - क. इस महाविद्यालय में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार का दोषी होना।
 - ख. अन्य महाविद्यालय की गत परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करना।
 - ग. विश्वविद्यालय की गत परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करना।
 - घ. अन्य कोई कारण जो महाविद्यालय के अनुशासन अधिकारी की दृष्टि में महत्वपूर्ण है।
3. डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के नियमानुसार महाविद्यालय के प्राचार्य को यह पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश आवेदन-पत्र बिना कारण बताये संस्था के व्यापक हित में अस्वीकृत कर सकते हैं अथवा दिया गया प्रवेश निरस्त कर सकते हैं।

टिप्पणी – उपर्युक्त नियमों के अतिरिक्त समय समय पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा प्रकाशित प्रवेश नियम लागू होंगे।

महाविद्यालय में छात्राओं हेतु उपलब्ध विशेष सुविधाएं

- 30 कम्प्यूटर्स से युक्त एक कम्प्यूटर लैब।
- Institute of Company Secretaries of India (ICSI) द्वारा अधिकृत अध्ययन केन्द्र, जिसमें Professionals द्वारा C.S. Foundation, Executive, Professional पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा CS Entrance हेतु कोचिंग की व्यवस्था।
- राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) एवं रैंजर्स की दो इकाइयाँ संचालित।
- Skype एवं अन्य वेब साइट्स की सहायता से दूरस्थ शिक्षण की व्यवस्था।
- English Language Lab (अंग्रेजी भाषा प्रयोगशाला)।
- नियमित Job fair & Placement drive (रोजगार मेला)।
- योग शिविर, संस्कृत सम्भाषण शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर।
- मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु मध्यावधि परीक्षा (Mid-Term Exams)।
- पुस्तकालय में छात्राओं के पठन-पाठन हेतु पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध।
- महाविद्यालय पुस्तकालय में E-Learning Section जहाँ विभिन्न विषयों की पुस्तकों की Downloaded Soft Copies उपलब्ध।
- भव्य एवं तकनीकी सुविधाओं से युक्त Conference Hall.
- शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद के आयोजनों हेतु विशाल सभागार।
- मथुरा शहर में NAAC (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) द्वारा मूल्यांकित प्रथम एवं एकमात्र वित्तपोषित महाविद्यालय।
- बॉलीबॉल, बैडमिंटन, बॉस्केट बॉल, टेबिल टेनिस, कराटे-जूडो, योग, कैरम, शतरंज, मार्शल आर्ट्स, ताईक्वाण्डो एवं रिद्धिमिक जिमनास्टिक का प्रशिक्षण।
- कम्प्यूटरीकृत व्यवस्थाओं से युक्त कार्यालय।
- छात्रवृत्ति योजनाएं Students Welfare fund (S.A.F.) शुल्क में छूट संबंधी योजनाएं आदि।
- वार्षिक पत्रिका 'आस्था' एवं अर्द्धवार्षिक समाचार पत्र 'प्रवाह' का प्रकाशन।
- शिक्षिकाओं द्वारा पावर पॉइंट के माध्यम से शिक्षण एवं छात्राओं के लिए भी पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण की व्यवस्था।
- समय-समय पर कौशल विकास की विभिन्न कार्यशालाओं की व्यवस्था जैसे पेंटिंग, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, पोशाक बनाना आदि।
- समस्त स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में योग्यता आधारित विशेष छात्रवृत्ति के रूप में शिक्षण शुल्क में 50% तक की छूट।
- शिक्षक अभिभावक संघ
- पुरातन छात्रा परिषद्
- छात्रा कल्याण प्रकोष्ठ
- शिकायत निवारण प्रकोष्ठ एवं शिकायत पेटिका
- कैन्टीन

वार्षिक शुल्क विवरण

(विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत शुल्क ही देय होगा)

विशेष : जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(क) अनुदानित विषयों का शुल्क विवरण

क्र. सं.	नाम शुल्क	बी. ए.	एम. ए.
1	शिक्षण शुल्क	-----	-----
2	मंहगाई शुल्क	42.00	42.00
3	चिकित्सा शुल्क	12.00	12.00
4	पुस्तकालय-वाचनालय	30.00	30.00
5	निर्धन विद्यार्थी कोष	12.00	12.00
6	पंजीकरण शुल्क	25.00	25.00
7	प्रवेश शुल्क	3.00	3.00
8	विकास शुल्क	30.00	30.00
9	क्रीड़ा शुल्क	250.00	250.00
10	गृह परीक्षा शुल्क	50.00	50.00
11	परिचय पत्र / दैनन्दिनी शुल्क	8.00	8.00
12	ऊष्ण एवं शीत शुल्क	24.00	24.00
13	पंखा शुल्क	300.00	300.00
14	विद्यार्थी कल्याण शुल्क	12.00	12.00
15	महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	200.00	200.00
16	प्रयोगशाला के प्रासंगिक शुल्क (केवल प्रयोगात्मक विषयों के लिए)	25.00	25.00
17	पुस्तकालय व्यय प्रासंगिक शुल्क	30.00	30.00
18	वि. वि. नामांकन शुल्क (केवल प्रथम वर्ष हेतु)	300.00	300.00
19	छात्रा परिषद् शुल्क	9.00	9.00
20	दीक्षान्त तथा वार्षिक उत्सव	10.00	10.00
21	कॉलेज भवन रख-रखाव शुल्क	18.00	18.00
22	सांस्कृतिक शुल्क	80.00	80.00
23	पुस्तकालय प्रतिभूति (उसी सत्रांत में ही वापिस की जा सकेगी)	50.00	50.00
24	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क (बी.ए.)	1600.00	-----
25	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क (एम.ए.)	-----	4000.00
26	उपाधि शुल्क (अंतिम वर्ष में देय)	300.00	300.00
27	इन्क्यूबेशन फीस	100.00	100.00

नोट - 1. विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार सत्र के मध्य में भी शुल्क में परिवर्तन संभव है, जिसे छात्राओं द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

*2. एम.ए. का परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर से परीक्षा फार्म जमा करते समय देय होगा।

Semester wise Fee Structure Session 2025-26 (Self-Finance Courses)

S. No.		College Fee (Per Semester)	University Fee (Per Semester)	Vocational Course Fee (Per Semester)
1.	Bachelor of Commerce (B.Com.)	5500/-	1050/-	250/-
2.	Bachelor of Science (B.Sc.)	6000/-	1050/-	250/-
3.	Bachelor of Computer Application (B.C.A..)	12000/-	As per Univ.	-
4.	Master of Arts (M.A. English)	4000/-	2250/-	-
5.	Master of Arts (M.A. Hindi)	3000/-	2250/-	-
6.	Master of Arts (M.A. Pol. Sci.)	4000/-	2250/-	-
7.	Master of Arts (M.A. Sociology)	4000/-	2250/-	-
8.	Master of Commerce (M.Com.)	6000/-	2250/-	-
9.	Post Graduate Diploma in Journalism (PGDJ)	8000/- (Annually)	As per Univ.	-

- Registration Fee **Rs. 100/-** applicable for all students per year.
- University Enrolment fee **Rs. 300/-** applicable for all First year students.
- University Degree Fee **Rs. 300/-** applicable for all Final Year Students.
- Transfer Certificate (T.C.) fee **Rs. 50/-** at the time of T.C. issue.

प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थान

क्र. सं.	कक्षा	CATEGORY					TOTAL
		1 सामान्य 47%	2 आर.अनु.जाति. 21%	3 आर.पि.जाति. 27%	4 आर.अनु.ज.जाति. 2%	5 आर. विकलांग 3%	
1.	बी.ए. प्रथम वर्ष	235	105	135	10	15	500
2.	बी.कॉम. प्रथम वर्ष	85	38	48	4	5	180
3.	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	169	76	97	7	11	360
4.	बी.सी.ए. प्रथम वर्ष	28	13	16	1	2	60
5.	एम.ए. पूर्वार्द्ध						
	(क) हिन्दी	37	16	22	2	3	80
	(ख) संस्कृत	37	16	22	2	3	80
	(ग) अंग्रेजी	37	16	22	2	3	80
	(घ) समाज शास्त्र	28	13	16	1	2	60
	(ङ) राजनीति विज्ञान	28	13	16	1	2	60
6.	एम. कॉम. पूर्वार्द्ध	37	16	22	2	3	80
7.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा पत्रकारिता	28	13	16	1	2	60

(ग) शुल्क संबंधी अन्य नियम

- (1) प्रयोगशाला शुल्क – मनोविज्ञान, संगीत गायन, संगीत वादन, गृहविज्ञान और शारीरिक शिक्षा विषय के लिये रु. 20/- प्रतिमाह (240/- कुल) प्रति विषय अतिरिक्त शुल्क फीस के साथ जमा करना होगा।
- (2) महाविद्यालय से नाम कट जाने पर रु. 3/- पुनः प्रवेश शुल्क के साथ फीस देनी होगी।
- (3) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र फार्म प्राप्त करने के लिये रु. 2/- प्रति प्रमाण पत्र शुल्क देय होगा।
- (4) विश्वविद्यालय परीक्षा के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
- (5) असाधारण परिस्थितियों में विषय के परिवर्तन पर प्रयोगात्मक शुल्क का समायोजन नहीं किया जायेगा। परिवर्तित विषय का शुल्क – भुगतान पुनः करना होगा।

शुल्क भुगतान

1. सभी विद्यार्थियों/अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी प्रवेश सम्बन्धी साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त चालान प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर फीस सैन्ट्रल बैंक, मसानी ब्रांच (दीप गैस सर्विस के सामने) में जमा करा दें अथवा कॉलेज की वेबसाइट के द्वारा ऑनलाइन जमा करा सकते हैं अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त समझा जायेगा।
2. फीस जमा करने के उपरान्त फीस चालान दिखाकर परिचय-पत्र प्राप्त कर लें। प्रवेश के एक माह के अन्दर मुख्य अनुशासन अधिकारी से हस्ताक्षर करा लें। तत्पश्चात फीस की रसीद दिखाकर सूचनानुसार नामांकन प्रपत्र व परीक्षा फार्म प्राप्त कर लें।
3. कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर समस्त सूचनाएँ लगाई जाती हैं। छात्राओं की जिम्मेदारी है कि वे नोटिस बोर्ड की सूचनायें नियमित रूप से पढ़ें तथा उनके अनुसार ही कार्य करें।

उपस्थिति

प्रत्येक विषय में विश्वविद्यालय के आदेशानुसार 75% उपस्थिति का होना आवश्यक है। अतः 75% से कम उपस्थिति होने पर विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। बिना अनुमति के 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर भी प्राचार्या द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व छात्रा एवं उसके अभिभावकों का ही होगा।

वित्तीय सहायता एवं छात्रवृत्तियाँ

(क) विद्यार्थी सहायता कोष –

महाविद्यालय में विद्यार्थी सहायता कोष है। इस कोष में निम्न नियमों के अनुसार निर्धन विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

1. विद्यार्थी सहायता कोष में से आर्थिक सहायता लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को घोषित अन्तिम निर्धारित तिथि तक कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने होंगे।
2. यह आर्थिक सहायता पुस्तकों, वस्त्रों, औषधियों, शुल्क में कमी को पूरा करने आदि के लिये ही प्रदान की जायेगी।
3. आवेदक को अपनी सभी स्रोतों से प्राप्त पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी/लोकसभा सदस्य/विधायक/सरपंच/तहसीलदार/सेवायोजक से प्रमाणित कराके आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। विशेष स्थितियों में प्रबन्ध समिति के सदस्यों और अध्यापकों द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्रों एवं संस्तुत आवेदन पत्रों पर भी विचार किया जा सकता है।
4. आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले छात्राओं की सूची घोषित होने के बाद किसी भी दशा में कोई प्रार्थना पत्र आर्थिक सहायता के लिये अमान्य होगा।
5. आर्थिक सहायता हेतु प्रतिभाशाली छात्राओं को वरीयता दी जायेगी।
6. किसी भी विषय में अनुत्तीर्ण रहने वाली छात्रा को सहायता नहीं दी जायेगी।
7. किसी भी विषय में निर्धारित उपस्थिति से कम होने पर छात्रा को आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।
8. प्रत्येक छात्रा को शुल्क में सहायता के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ पिछली कक्षा की अंकतालिका संलग्न करना अनिवार्य है।

(ख) राजकीय छात्रवृत्तियाँ –

महाविद्यालय में सरकार द्वारा निर्धारित विशेष छात्रवृत्तियाँ निम्नलिखित वर्गों की छात्राओं के लिये उपलब्ध हैं।

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति। | 2. अन्य पिछड़ा वर्ग। |
| 3. सामान्य वर्ग। | 4. अल्पसंख्यक वर्ग। |

वांछित अर्हताएँ

1. छात्राओं को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति, आय एवं मूल निवास प्रमाण पत्र तथा उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिकाएँ, फीस की रसीद आदि की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित छाया प्रति छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. अनुसूचित जाति तथा जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग की छात्राओं के अभिभावकों की आय 2,00,000/- वार्षिक से ज्यादा नहीं होनी चाहिये।

3. अल्पसंख्यक वर्ग हेतु आय 1,00,000/- वार्षिक से अधिक न हो।
 4. छात्रवृत्ति की राशि छात्राओं के बैंक खाते में शासन द्वारा सीधे हस्तान्तरित की जायेगी। छात्रवृत्ति हेतु बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक, शाखा वृन्दावन गेट, मण्डी रामदास, मथुरा में खोलना अनिवार्य होगा।
- नोट :1. छात्राओं को प्रवेश के समय ही अपना छात्रवृत्ति आवेदन जमा करना होगा। इसके पश्चात् के प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. अधिक जानकारी के लिये छात्राएं कार्यालय लिपिक श्री आशीष शर्मा से सम्पर्क कर सकती हैं।
 3. जो छात्राएं किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति/ आर्थिक सहायता/शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन करेंगी, उनकी उपस्थिति किसी भी विषय में 75 प्रतिशत से कम होने की दशा में उनकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी तथा वे किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता की अधिकारी नहीं होंगी।

(ग) विशेष योग्यता छात्रवृत्ति

महाविद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने तथा होनहार एवं मेधावी छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए प्रबंध समिति द्वारा विशेष योग्यता छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। इसके अंतर्गत विभिन्न कक्षाओं में निम्न व्यवस्था के अनुसार मेधावी छात्राओं का चयन कर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी –

- (अ) बी.एस.सी., बी.कॉम, प्रथम वर्ष की उन सभी छात्राओं को **शिक्षण शुल्क** के पचास प्रतिशत 50% के बराबर शुल्क मुक्ति छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी जो महाविद्यालय द्वारा आयोजित विशेष छात्रवृत्ति परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त करेंगी। उक्त परीक्षा में बैठने के लिए इण्टरमीडिएट में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं अर्ह होंगी।
- (ब) बी.कॉम. (द्वितीय, तृतीय वर्ष) तथा एम.कॉम., एम.ए. (हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की उन सभी छात्राओं को शिक्षण शुल्क के 50% के बराबर जिन्होंने पूर्व वर्ष की परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों।

उपरोक्त अर्हता शर्तों में महाविद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा असाधारण परिस्थितियों में परिवर्तन किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रैंजर्स इकाइयाँ

सन् 1975 से महाविद्यालय में उक्त योजना को क्रियान्वित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं में सहयोग, सेवा भावना जाग्रत करना व देश में पढ़ने वाले दुर्भिक्ष, सूखा, अतिवृष्टि, महामारी इत्यादि से पीड़ित समाज के विभिन्न वर्गों को राहत पहुंचाना है। ग्रामीण क्षेत्र में शिविर लगाकर वहां स्वच्छता व गृहशिल्प का प्रसार एवं निरक्षरता का उन्मूलन करना है। वर्तमान में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाइयाँ महाविद्यालय में संचालित हैं। **राष्ट्रीय सेवा योजना की सदस्यता के लिए बी.ए. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की छात्राओं को कार्यालय से फार्म प्राप्त करके भरना एवं निर्धारित समय तक जमा करना अति आवश्यक है।**

छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय प्रतिबद्ध है, अतः छात्राओं के लिए रैंजर्स की दो इकाइयों में प्रशिक्षण, कैम्प, प्रतियोगिताओं आदि की समुचित व्यवस्था है।

खेल सुविधाएं

महाविद्यालय में छात्राओं के शारीरिक विकास एवं मनोरंजन हेतु इनडोर क्रीड़ा परिसर बनाया गया है, जिसमें छात्राएँ टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बॉस्केटबॉल आदि खेलों का अभ्यास कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में हॉकी, क्रिकेट, कराटे, दौड़ व कबड्डी आदि की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

महाविद्यालय में छात्राओं के लिये प्रतिवर्ष कराटे कैम्प का आयोजन किया जाता है। पूर्व में अनेक छात्राओं ने विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत होकर महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिदिन योगाभ्यास तथा व्यायाम की कक्षाएं संचालित किये जाने की व्यवस्था भी है। महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर टेबिल टेनिस, कबड्डी आदि की अन्तर्महाविद्यालयी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं।

आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा

छात्राओं में स्वस्थ मानसिकता एवं आध्यात्मिक चेतना जाग्रत करने एवं गीता के पठन-मनन के अतिरिक्त समय-समय पर अन्य धर्मों से सम्बन्धित परिचर्चाएं भी आयोजित की जाती हैं। सभी धर्मों के आदर्श मनीषियों के चरित्रों एवं शिक्षाओं पर प्रकाश डालकर छात्राओं के उत्थान का प्रयास किया जाता है। विविध व्यायामों एवं आसनो के शिक्षण द्वारा स्वस्थ एवं सुविकसित शरीर निर्माण की ओर छात्राओं को अग्रसर किया जाता है। छात्राओं के लिये समय-समय पर **आर्ट ऑफ लिविंग** संस्था द्वारा व्यक्तित्व विकास के शिविर भी आयोजित किये जाते हैं।

महाविद्यालय पत्रिका, भित्ति पत्रिका एवं मुख पत्र

छात्राओं की लेखन शैली के विकास एवं कल्पनाओं के उर्वरीकरण हेतु वार्षिक पत्रिका '**आस्था**' का प्रकाशन इस विद्यालय का संकल्प है। छात्राओं, शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों द्वारा लिखित रचनाएँ नियमित रूप से पत्रिका में प्रकाशित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त छात्राओं की दैनिक/साप्ताहिक प्रविष्टियों के लिए पुस्तकालय भवन में **भित्ति पत्रिका** भी लगाई गई है। छात्राएँ इसमें अपनी रचनाएँ प्रविष्ट कराने के लिए डॉ. सुषमा जैन, प्रवक्ता, वाणिज्य विभाग से सम्पर्क कर सकती हैं।

छात्राओं एवं अभिभावकों से संवाद-स्थापित करने के उद्देश्य से तथा छात्राओं/अभिभावकों को महाविद्यालय की शैक्षिक एवं पराशैक्षिक गतिविधियों, समाचारों एवं भावी योजनाओं से अवगत कराने के लिए महाविद्यालय द्वारा एक अर्धवार्षिक मुखपत्र '**प्रवाह**' का प्रकाशन भी किया जाता है, जिसमें छात्राओं की रचनाएं भी प्रकाशित होती हैं। इसमें प्रकाशनार्थ रचनाएं देने के लिए छात्राएं हिन्दी, संस्कृत व अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्षाओं से सम्पर्क कर सकती हैं।

परास्नातक शोध एवं नवाचार परिषद्

महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु छात्राओं की समिति गठित की गई है। इसके अन्तर्गत नवीनतम विषयों पर परिचर्चा एवं कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। साथ ही स्नातकोत्तर स्तर पर सभी विषयों में शोध की समुचित व्यवस्था है।

चिकित्सा सुविधाएं

छात्राओं के लिए विशेष परिस्थितियों में निम्नलिखित चिकित्सकों की सेवायें तत्काल उपलब्ध करायी जाती हैं।

1. डॉ. मनीष बंसल, एम.डी., 2. डॉ. ऋचा बंसल, एम.डी., 3. डॉ. सुशील कुमार, एम.बी.बी.एस.

प्रार्थना सभा

महाविद्यालय में छात्राओं को महत्वपूर्ण सूचनायें देने व छात्राओं से परस्पर संवाद स्थापित करने की दृष्टि से प्रति सप्ताह सोमवार एवं बृहस्पतिवार को प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। जिसमें प्रत्येक छात्रा एवं समस्त शिक्षिकाओं का उपस्थित रहना आवश्यक है।

मध्यावधि परीक्षाएं

छात्राओं द्वारा पाठ्यक्रम को सुचारु रूप से समझने व वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए महाविद्यालय द्वारा सत्र के मध्य में मध्यावधि परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। जिसमें सभी छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है। मध्यावधि परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर छात्रा को मुख्य परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। मध्यावधि परीक्षाओं के आधार पर ही छात्राओं के 25% आन्तरिक मूल्यांकन के अंक प्रदान किए जाते हैं।

साहित्यिक एवं विषय परिषदें

महाविद्यालय की प्राध्यापिकाओं एवं अन्य सदस्यों के निर्देशन में सभी विषय परिषदें विद्यार्थियों द्वारा बनाई तथा चलाई जाती हैं। अपनी-अपनी विषय परिषद् की सदस्यता प्रत्येक छात्रा के लिए अनिवार्य है। इसके लिये छात्रायें संबंधित विषय की शिक्षिकाओं से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।

महाविद्यालय सप्ताह एवं प्रतियोगिताएं

1. छात्राओं की सांस्कृतिक एवं बौद्धिक अभिव्यक्ति के लिये प्रतिवर्ष महाविद्यालय में सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन किया जाता है। जिसमें वाद-विवाद प्रतियोगिता, अभिनय, नृत्य, संगीत, भाषण, चित्रकला, निबंध आदि प्रतियोगितायें आयोजित की जाती हैं। विजेता छात्राओं को पुरस्कार के साथ-साथ प्रमाण-पत्र भी दिया जाता है।

2. महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के कुछ सदस्यों द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में प्रतिवर्ष अन्तर्महाविद्यालय स्तर पर निम्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है –
 - (क) श्री कन्हैया लाल अग्रवाल स्मृति वाद-विवाद प्रतियोगिता।
 - (ख) श्री बैजनाथ सराफ (वृन्दावन) एवं श्रीमती शांति देवी स्मृति हिन्दी निबंध प्रतियोगिता।
 - (ग) श्री किशन लाल सराफ स्मृति अंग्रेजी निबंध प्रतियोगिता।
 - (घ) श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल एडवोकेट स्मृति भाषण प्रतियोगिता।
 - (ङ) श्री दीनानाथ कसेरे स्मृति सुगम संगीत प्रतियोगिता।
 - (च) श्री पुरुषोत्तम दास एव श्रीमती ब्रह्मा देवी स्मृति पोस्टर प्रतियोगिता।
 - (छ) श्री रूपकिशोर भरतिया एवं श्रीमती बीना भरतिया स्मृति लोकनृत्य प्रतियोगिता।
 इन सभी प्रतियोगिताओं में आगरा विश्वविद्यालय के अनेकों महाविद्यालयों की टीमें प्रतिवर्ष प्रतिभाग करती हैं।
3. महाविद्यालय के स्थापना दिवस 4 अक्टूबर को प्रतिवर्ष छात्राओं के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाता है।
4. समय-समय पर किसी एक विषय में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भी महाविद्यालय द्वारा अवश्य किया जाता है। जिससे छात्राओं को उस विषय में देश-विदेश में होने वाले नवीनतम शोध से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है।

सर्वश्रेष्ठ छात्रा पुरस्कार

महाविद्यालय में छात्राओं को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विगत वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ छात्रा पुरस्कार प्रारम्भ किए गए हैं। अलग-अलग विषयों व क्षेत्रों में प्रतिभावान छात्राओं की वर्ष भर की गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर सत्र के अंत में प्रतिवर्ष निम्न 6 क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ छात्रा का चयन करके उसे पुरस्कृत किया जाता है—

- | | | |
|--------------------|------------|------------|
| 1. सामाजिक-विज्ञान | 2. ललितकला | 3. वाणिज्य |
| 4. क्रीड़ा | 5. साहित्य | 6. विज्ञान |

इसके अतिरिक्त पूरे सत्र में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्रा के लिए वर्ष की **सर्वश्रेष्ठ छात्रा (Student of the year)** को 11000/- रु. का नकद पुरस्कार, शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी **श्री हित सरन जी सराफ, वृन्दावन** द्वारा प्रदान किया जाता है।

रोजगार परामर्श एवं स्थापना

महाविद्यालय में छात्राओं को कैरियर काउंसलिंग सैल के द्वारा उचित रोजगार हेतु समय समय पर विशेषज्ञों को आमन्त्रित किया जाता है। साथ ही उनको पढ़ाई के दौरान ही रोजगार मिल जाये, ऐसी व्यवस्था हेतु विभिन्न संस्थानों को भी आमन्त्रित किया जाता है। विगत वर्षों में महाविद्यालय की बहुत सी छात्रायें महाविद्यालय के प्रयासों से रोजगार प्राप्त कर चुकी हैं। महाविद्यालय में समय-समय पर रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाता है।

शिक्षक-मूल्यांकन

महाविद्यालय प्रशासन प्रत्येक स्तर पर शिक्षण शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रत्येक विषय में सुयोग्य शिक्षकों का चयन एवं समय-समय पर उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। छात्राओं द्वारा शिक्षक/शिक्षिकाओं का मूल्यांकन भी महाविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष नियमित रूप से किया जाता है तथा शिक्षक/शिक्षिकाओं को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार भी दिया जाता है। जिसमें छात्राओं के मतों को श्रेष्ठ शिक्षक/शिक्षिका के चयन का आधार बनाया जाता है, जिससे छात्राओं की भागीदारी भी शिक्षण गुणवत्ता बढ़ाने में सुनिश्चित होती है।

पुरातन छात्रा परिषद्

महाविद्यालय की पुरातन छात्राओं को महाविद्यालय की विविध गतिविधियों से जोड़े रखने तथा उन्हें महाविद्यालय परिवार का अंग बनाये रखने हेतु वर्ष 2005-06 में पुरातन छात्रा परिषद् का गठन किया गया। जो कि विधिवत पंजीकृत है। गर्व का विषय है कि महाविद्यालय की अनेक पुरातन छात्रायें देश-विदेश में उच्च पदों पर आसीन हैं व शैक्षिक, सांस्कृतिक, खेल आदि गतिविधियों में ख्याति अर्जित कर चुकी हैं। परिषद् की सदस्याओं के लिये समय-समय पर सभाओं का आयोजन किया जाता है। उन्हें विविध कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है व सम्मानित भी किया जाता है। वर्तमान में लगभग 1700 पुरातन छात्राएँ परिषद् की सदस्य हैं।

इसका सदस्यता शुल्क 50 रुपये है जो छात्राओं द्वारा महाविद्यालय छोड़ते वक्त जमा किया जाता है।

अनुशासन मण्डल

1. महाविद्यालय में एक अनुशासन समिति है, जो विद्यालय में शान्ति और सौहार्द के वातावरण को बनाये रखती है। इस समिति का संचालन एवं निर्देशन मुख्य अनुशासन अधिकारी की देख रेख में होता है। इस समिति में कुछ शिक्षिकायें एवं छात्राएँ आवश्यकतानुसार सम्मिलित किए जाते हैं। प्रवेश लेने के 15 दिन के अन्दर प्रत्येक छात्रा को मुख्य अनुशासन अधिकारी द्वारा अपना परिचय पत्र हस्ताक्षरित कराना अनिवार्य है।
2. छात्रा की परिचय पत्र पर लगाने वाली फोटो पूर्ण गणवेश में होनी चाहिये।
3. परिचय पत्र की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व छात्रा का है इसके खो जाने पर दूसरा परिचय पत्र रु. 20/- दण्ड शुल्क के साथ अपना एक फोटो लाकर देने पर ही प्रदान किया जायेगा।
4. अनुशासन समिति द्वारा किसी भी समय परिचय पत्र माँगा जा सकता है तथा इसके न होने पर छात्रा को महाविद्यालय में प्रवेश से रोका जा सकता है।
5. नवीन सूचना के लिए प्रतिदिन सूचना-पट देखना अनिवार्य है।
6. किसी भी प्रकार के विघटनकारी तत्वों से न कोई सम्बन्ध छात्राओं को रखना होगा और न ही वे इस प्रकार के विचारों का प्रसार कर सकेंगी। ऐसा होने पर प्राचार्या द्वारा दण्ड दिया जायेगा, जो अर्थदण्ड से लेकर निष्कासन तक हो सकता है। यह दण्ड छात्रा को अनिवार्य रूप से मान्य होगा।
7. अवांछनीय व्यवहार और चरित्र के होने पर महाविद्यालय से छात्रा को निष्कासित किया जा सकता है।

8. अध्यापन काल में अध्ययन कक्ष के समक्ष या अन्यत्र जोर से बोलना या बरामदे में बैठना वर्जित है। महाविद्यालय की गरिमा और गाम्भीर्य के लिये शान्त और अनुशासनबद्ध रहना आवश्यक है।
9. परीक्षाकाल में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों के प्रयोग करने पर दण्ड बाध्यकारी है।
10. छात्राओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी शैक्षिक गतिविधियों से अपने अभिभावकों को अवगत कराती रहें। अभिभावकों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह छात्रा को कॉलेज के सभी नियमों के पालन में सहयोग देने को प्रेरित करें एवं समय-समय पर महाविद्यालय आकर अपनी पाल्या के व्यवहार एवं प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करते रहें।

पुस्तकालय के नियम व निर्देश

1. छात्राएं प्रवेश के समय मिलने वाली रसीद पुस्तकालय में दिखाकर पुस्तकालय कार्ड प्राप्त कर सकती हैं।
2. पुस्तकें केवल महाविद्यालय के संस्थागत विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को ही निर्गत की जायेंगी।
3. किसी भी छात्रा को केवल सम्बन्धित विषय की पुस्तकें ही निर्गत की जायेंगी।
4. संस्थागत छात्रा को एक समय पर एक या दो पुस्तकें केवल 14 दिनों के लिये ही निर्गत की जायेंगी।
5. छात्रा को 14 दिनोपरांत प्रतिदिन, प्रति पुस्तक 1 रु. अर्थदण्ड देय होगा। पुस्तक गुम हो जाने की दशा में उसी लेखक एवं शीर्षक की नवीनतम पुस्तक जमा करानी होगी या पुस्तक का पाँच गुना मूल्य जमा कराना होगा।
6. संस्थागत छात्राओं को पुस्तकें केवल उनकी कक्षा के लिये निर्धारित दिनों पर ही निर्गत तथा वापस ली जायेगी।
7. फटी हुई अथवा क्षतिग्रस्त हुई पुस्तकों को वापसी हेतु स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा उसे खोया हुआ माना जायेगा। प्राप्तकर्ता ऐसी पुस्तक को वापस करते समय लेने से मना कर सकते हैं।
8. पत्रिकायें व समाचार पत्र निर्गतनीय नहीं हैं। उन्हें निर्गत नहीं किया जायेगा।
9. पुस्तकालय में शान्ति एवं स्वच्छता बनाये रखें। पुस्तकालय में स्वयं अनुशासन का पालन करें।
10. पुस्तकालय के खुलने का समय महाविद्यालय कार्यालय के खुलने के समयानुसार होगा।
11. बी.कॉम एवं बी.एस.सी. की निर्धन छात्राओं के लिये बुक बैंक की सुविधा भी उपलब्ध है।

प्रशासनिक समितियाँ

महाविद्यालय में प्रभावी प्रशासन, कक्षाओं के सुचारु संचालन एवं छात्राओं में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 के लिए निम्न समितियाँ गठित की गई हैं। सभी शिक्षिकाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय में अनुशासन के अनुपालन हेतु संबंधित समिति प्रभारियों के निर्देशन में कार्य करें।

(1) अनुशासन समिति

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. डॉ. कल्पना वाजपेयी | — मुख्य अनुशासन अधिकारी |
| 2. डॉ. मंजू दलाल | — उप मुख्य अनुशासन अधिकारी |
| 3. डॉ. मेनिका गुप्ता | — अनुशासन अधिकारी |
| 4. डॉ. प्रतिभा | — अनुशासन अधिकारी |
| 5. डॉ. धर्मेन्द्र वर्मा | — अनुशासन अधिकारी |
| 6. डॉ. राजेश वर्मा | — अनुशासन अधिकारी |
| 7. श्रीमती रत्ना शर्मा | — सहायिका |

(2) सांस्कृतिक क्लब

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. डॉ. संध्या | — प्रभारी |
| 2. श्रीमती शताक्षी सिंह | — सदस्या |
| 3. डॉ. सुषमा जैन | — सदस्या |
| 4. डॉ. ऋचा शर्मा | — सदस्या |
| 5. डॉ. नेहा सक्सैना | — सदस्या |
| 6. डॉ. रुचिरा तिवारी | — सदस्या |
| 7. श्रीमती रत्ना शर्मा | — सहायिका |

(3) पुस्तकालय समिति

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. डॉ. अर्चना सोनिया | — प्रभारी |
| 2. डॉ. सीमा शर्मा | — सदस्या |
| 3. डॉ. पल्लवी शुभा | — सदस्या |
| 4. श्री पवन सिकरवार | — सहायक |

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- समिति

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. डॉ. स्मृति शर्मा | — प्रभारी |
| 2. श्री पवन सिकरवार | — सहायक |

(5) क्रय समिति

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. डॉ. अर्चना पाल | — प्रभारी |
| 2. डॉ. संध्या | — सदस्या |
| 3. डॉ. मंजू दलाल | — सदस्या |
| 4. श्री पवन सिकरवार | — सहायक |

(6) समय-सारिणी समिति

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. डॉ. कल्पना वाजपेयी | — प्रभारी |
| 2. डॉ. संध्या | — सदस्या |

- (7) **भवन एवं फर्नीचर रख-रखाव समिति**
1. डॉ. अर्चना पाल — प्रभारी
 2. डॉ. सोमा दास — सदस्या
 3. डॉ. पूजा राय — सदस्या
 4. श्री आशीष शर्मा — सहायक
- (8) **छात्रा कल्याण समिति**
1. डॉ. कल्पना वाजपेयी — प्रभारी
 2. डॉ. संध्या — सदस्या
 3. डॉ. सीमा शर्मा — सदस्या
- (9) **खेल-कूद समिति**
1. डॉ. मंजू दलाल — प्रभारी
 2. डॉ. गरिमा — सदस्या
 3. डॉ. सीमा शर्मा — सदस्या
 4. डॉ. राजेश वर्मा — सदस्या
- (10) **प्रवेश विवरणिका समिति**
1. डॉ. अंजुबाला अग्रवाल — प्रभारी
 2. डॉ. संध्या — सदस्या
 3. श्रीमती पूजा पालीवाल — सदस्या
- (11) **शिकायत निवारण प्रकोष्ठ**
1. सुश्री सोनम यादव — प्रभारी
 2. डॉ. सुषमा अग्रवाल — सदस्या
 3. डॉ. पल्लवी शुभा — सदस्या
- (12) **फीडबैक संग्रह एवं विश्लेषण समिति**
1. डॉ. भारती सागर — प्रभारी
 2. डॉ. सुषमा जैन — सदस्या
 3. डॉ. अर्चना सोनिया — सदस्या
 4. डॉ. राजेश वर्मा — सदस्या
- (13) **शोध सलाहकार समिति**
1. डॉ. अंजुबाला अग्रवाल — प्रभारी
 2. डॉ. अर्चना पाल — सदस्या
 3. डॉ. भारती सागर — सदस्या
- (14) **रैगिंग निरोधक प्रकोष्ठ**
1. डॉ. अर्चना पाल — प्रभारी
 2. डॉ. राजेश वर्मा — सदस्या

- (15) कैरियर काउंसिलिंग एवं रोजगार प्रकोष्ठ
1. डॉ. स्मृति शर्मा — प्रभारी
 2. डॉ. मेनिका गुप्ता — सदस्या
 3. डॉ. सुषमा जैन — सदस्या
 4. डॉ. पल्लवी शुभा — सदस्या
- (16) पत्रिका लेख संकलन समिति
1. डॉ. अर्चना पाल — प्रभारी
 2. डॉ. नेहा सक्सैना — सदस्या
 3. डॉ. पूजा राय — सदस्या
 4. डॉ. संध्या — सदस्या
- (17) आस्था/प्रवाह वितरण समिति
1. डॉ. नेहा सक्सैना — प्रभारी
 2. श्रीमती मधुमिता — सदस्या
- (18) छात्रवृत्ति समस्या समाधान समिति
1. डॉ. अर्चना पाल — प्रभारी
 2. डॉ. भारती सागर — सदस्या
 3. सुश्री मेनिका गुप्ता — सदस्या
- (19) कौशल-विकास/स्ववित्त पाठ्यक्रम समिति
1. डॉ. संध्या — प्रभारी
 2. डॉ. मेनिका गुप्ता — सदस्या
 3. डॉ. सुषमा जैन — सदस्या
 4. श्रीमती पूजा पालीवाल — सदस्या
- (20) परिसर स्वच्छता, सौंदर्यीकरण एवं पर्यावरण संरक्षण समिति
1. सुश्री सोनम यादव — प्रभारी
 2. डॉ. प्रतिभा — सदस्या
 3. डॉ. सुषमा जैन — सदस्या
- (21) महिला प्रकोष्ठ
1. डॉ. सोमा दास — प्रभारी
 2. डॉ. गरिमा — सदस्या
 3. डॉ. राजेश वर्मा — सदस्या
- (22) पर्यावरण क्लब
1. डॉ. भारती सागर — प्रभारी
 2. डॉ. सुषमा — सदस्या
 3. डॉ. राजेश वर्मा — सदस्या
 4. श्रीमती शताक्षी सिंह — सदस्या

- (23) छात्रा स्वास्थ्य समिति
1. डॉ. मंजू दलाल — प्रभारी
 2. डॉ. गरिमा — सदस्या
 3. श्रीमती मधुमिता — सदस्या
- (24) परीक्षा परिणाम संकलन
1. डॉ. भारती सागर — प्रभारी
 2. डॉ. सोमा दास — सदस्या
 3. डॉ. प्रतिभा — सदस्या
 4. डॉ. धर्मेन्द्र वर्मा — सदस्य
 5. डॉ. पल्लवी शुभा — सदस्या
- (25) साहित्यिक क्लब
1. डॉ. अंजुबाला अग्रवाल — प्रभारी
 2. डॉ. अर्चना पाल — सदस्या
 3. डॉ. पूजा राय — सदस्या
 4. डॉ. स्मृति शर्मा — सदस्या
 5. सुश्री खुशबू आचार्य — सदस्या
 6. सुश्री निकिता वार्ष्णेय — सदस्या
- (26) नवाचार परिषद्
1. डॉ. अंजुबाला अग्रवाल — प्रभारी
 2. डॉ. राजेश वर्मा — सदस्या
 3. डॉ. संध्या — सदस्या
 4. डॉ. गरिमा — सदस्या
- (27) छात्रा परिषद् समिति
1. डॉ. भारती सागर — प्रभारी
 2. डॉ. संध्या — सदस्या
 3. डॉ. सुषमा जैन — सदस्या
 4. श्रीमती मधुमिता — सदस्या
- (28) पुरातन छात्रा समिति
1. डॉ. कल्पना वाजपेयी — प्रभारी
 2. सुश्री खुशबू आचार्य — सदस्या
 3. सुश्री अजली — सदस्या
 4. श्रीमती पूजा पालीवाल — सदस्या
- (29) परीक्षा समिति
1. डॉ. कल्पना वाजपेयी — प्रभारी
 2. श्रीमती शताक्षी सिंह — सदस्या
 3. डॉ. सुषमा जैन — सदस्या

(30) लैंगिक उत्पीड़न निरोधक समिति

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. डॉ. अर्चना पाल | — प्रभारी |
| 2. डॉ. भारती सागर | — सदस्या |
| 3. डॉ. पल्लवी | — सदस्या |

(31) स्टोर

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. फोटो एवं सीडी, डीवीडी इत्यादि | — 1. डॉ. संध्या |
| | — 2. डॉ. स्मृति शर्मा |
| 2. दवाएं, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं | — 1. डॉ. गरिमा |
| | — 2. श्रीमती पूजा पालीवाल |
| 3. कम्प्यूटर, विद्युत उपकरण, अन्य सभी उपकरण एवं भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्री | — 1. सुश्री प्रतिभा |
| | — 2. श्री पवन सिकरवार |
| 4. बिजली फिटिंग सामग्री | — 1. सुश्री सोनम यादव |
| | — 2. श्री हरीश चन्द्र |

(32) विभिन्न कार्यों के लिए छात्राओं के आवेदन/प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर हेतु अधिकृत प्राध्यापिकाएं

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. स्थानांतरण/चरित्र प्रमाण पत्र | — डॉ. कल्पना बाजपेयी |
| 2. छात्राओं के बैंक खाते खोलने संबंधी आवेदन | — डॉ. अर्चना पाल |
| 3. छात्राओं की अंकतालिका/परिणाम में संशोधन संबंधी आवेदन | — 1. डॉ. मंजु दलाल |
| | — 2. डॉ. संध्या |
| 4. छात्राओं के शुल्क संबंधी आवेदन | — 1. डॉ. कल्पना बाजपेयी |
| | — 2. डॉ. संध्या |
| 5. राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी | — 1. डॉ. पूजा राय |
| | — 2. डॉ. सुषमा |
| 6. रैंजर्स इकाई प्रभारी | — 1. डॉ. अर्चना सोनिया |
| | — 2. सुश्री मेनिका गुप्ता |
| 7. शासकीय छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी | — डॉ. अर्चना पाल |
| 8. वेबसाइट प्रभारी | — डॉ. सोमा दास |

उपरोक्त सभी समिति प्रभारी प्रत्येक माह की 1-10 तारीख के बीच एक बार बैठक कर अधोहस्ताक्षरी को अपने कार्यों व समिति की कार्यवाही का लिखित विवरण उपलब्ध कराएंगे।

इसके अतिरिक्त प्रशासनिक गतिविधियों में छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष छात्रा परिषद् (Students' Council) का भी गठन किया जाता है जिनमें प्रत्येक कक्षा/संकाय की छात्राओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। यह परिषद् छात्रा परिषद समिति के निर्देशन में कार्य करेगी।

डा. प्रीति जौहरी

प्रवेश समिति

सत्र 2025-26

प्रभारी प्रवेश

डॉ. अर्चना पाल

बी.ए.

1. डॉ. भारती सागर	प्रभारी
2. डॉ. पूजा राय	सदस्या
3. डॉ. सोमा दास	सदस्या
4. डॉ. प्रतिभा	सदस्या
5. डॉ. गरिमा	सदस्या
6. श्रीमती रत्ना शर्मा	सहायिका

बी.एस-सी./बी.सी.ए./पत्रकारिता स्नातकोत्तर डिप्लोमा

1. डॉ. संध्या श्रीवास्तव	प्रभारी
2. डॉ. राजेश वर्मा	सदस्या
3. डॉ. पल्लवी शुभा	सदस्या
4. श्रीमती पूजा पालीवाल	सहायिका

बी.कॉम./एम.कॉम.

1. डॉ. मंजू दलाल	प्रभारी
2. डॉ. अर्चना सोनिया	सदस्या
3. डॉ. सीमा शर्मा	सदस्या
4. डॉ. सुषमा	सदस्या
5. श्री गौरीशंकर	सहायक

समस्त एम.ए. कक्षाओं के प्रवेश का दायित्व संबंधित विभागाध्यक्षों का रहेगा।

प्रवेश का समय : प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक

महाविद्यालय परिवार

प्राचार्या

प्रोफेसर (डॉ.) अंजूबाला अग्रवाल (कार्यवाहक)

कला संकाय

अंग्रेजी विभाग

1. डॉ. (श्रीमती) अंजू बाला अग्रवाल
(प्रोफेसर एवं प्रभारी)
2. डॉ. सोमा दास (असि. प्रोफेसर)
3. डॉ. अर्चना सोनिया (असि. प्रोफेसर)
4. डॉ. स्मृति शर्मा (असि. प्रोफेसर)

संस्कृत विभाग

1. डॉ. (श्रीमती) अर्चना पाल
(प्रोफेसर एवं प्रभारी)
2. डॉ. (श्रीमती) बृजराणी गोस्वामी
(निलंबित एवं उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण)
3. डॉ. ऋचा शर्मा (प्रवक्ता, अस्थाई)

हिन्दी विभाग

1. डॉ. पूजा राय (असि. प्रोफेसर एवं प्रभारी)
2. डॉ. मेनिका गुप्ता (असि. प्रोफेसर)
3. डॉ. प्रतिभा (असि. प्रोफेसर)

संगीत (वादन) विभाग

1. रिक्त

संगीत (गायन) विभाग

1. डॉ. रुचिरा तिवारी (प्रवक्ता, अस्थाई)

गृह विज्ञान

1. डॉ. गरिमा (असि. प्रोफेसर एवं प्रभारी)
2. सुश्री शताक्षी सिंह (असि. प्रोफेसर)

शिक्षा शास्त्र विभाग

1. डॉ. (श्रीमती) कल्पना वाजपेयी
(प्रोफेसर एवं प्रभारी)

मनोविज्ञान विभाग

1. सुश्री सोनम यादव (असि. प्रोफेसर)

शारीरिक शिक्षा विभाग

1. डॉ. मंजू दलाल (एसो. प्रोफेसर)

अर्थशास्त्र विभाग

1. डॉ. (श्रीमती) वीरमती सिंह (प्रवक्ता, अस्थाई)

राजनीतिशास्त्र विभाग

1. डॉ. (श्रीमती) योगेन्द्री (प्रवक्ता, अस्थाई)
2. सुश्री खुशबू आचार्य (प्रवक्ता, अस्थाई)
3. सुश्री अंजली (प्रवक्ता, अस्थाई)

समाजशास्त्र विभाग

1. डॉ. (श्रीमती) भारती सागर
(प्रोफेसर एवं प्रभारी)
2. डॉ. (श्रीमती) नेहा सक्सैना
(प्रवक्ता, अस्थाई)

चित्रकला विभाग

1. डॉ. (श्रीमती) संध्या श्रीवास्तव (प्रवक्ता, प्रभारी स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम)

वाणिज्य संकाय

1. डॉ. (श्रीमती) सीमा शर्मा (प्रवक्ता, अस्थाई)
2. डॉ. धर्मेन्द्र वर्मा (प्रवक्ता, अस्थाई)
3. डॉ. सुषमा जैन (प्रवक्ता, अस्थाई)
4. सुश्री रोशनी (प्रवक्ता, अस्थाई)
5. रिक्त, 6. रिक्त

विज्ञान संकाय

1. डॉ. राजेश वर्मा (वनस्पति विज्ञान), (प्रवक्ता, अस्थाई)
2. सुश्री वर्षा (गणित), (प्रवक्ता, अस्थाई)
3. डॉ. पल्लवी शुभा (रसायन विज्ञान), (प्रवक्ता, अस्थाई)
4. श्रीमती मधुमिता शर्मा (जन्तु विज्ञान), (प्रवक्ता, अस्थाई)
5. सुश्री अंजु (भौतिक विज्ञान), (प्रवक्ता, अस्थाई)
6. सुश्री प्रियंका यादव (कम्प्यूटर साइंस), (प्रवक्ता, अस्थाई)

पत्रकारिता विभाग

1. डॉ. पूजा राय (प्रभारी)

कार्यालय

1. मुख्य कार्यालय

1. कार्यालय अधीक्षक (रिक्त)
2. श्री पवन सिकरवार (पुस्तकालय लिपिक)
3. श्री आशीष शर्मा (नैतिक लिपिक)
4. श्री गौरी शंकर (पुस्तकालय लिपिक, अस्थाई)
5. श्री मनीष राजौरिया (कम्प्यूटर ऑपरेटर, अस्थाई)

2. प्रयोगशाला सहायिका

(क) मनोविज्ञान

1. श्रीमती पूजा पालीवाल

(ख) गृहविज्ञान

1. रिक्त

3. तबला संगतकार

1. श्रीमती रत्ना शर्मा

4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. श्री प्रदीप (दफ्तरी)
2. श्री सुरेश (सफाई कर्मचारी)
3. श्रीमती गुड़िया
4. श्रीमती अंजू शर्मा
5. श्री हरीश चन्द्र
6. श्री मुकेश (सफाई कर्मचारी)

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

प्रस्तावित शैक्षिक कैलेंडर 2025-26

प्रथम / विषम सेमेस्टर

- | | |
|---|---------------------|
| 1. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि | — 15 अगस्त, 2025 तक |
| 2. प्रथम सेमेस्टर में नव प्रवेशित छात्रों के लिए शिक्षण कार्य प्रारंभ | — 01 जुलाई 2025 |
| 3. प्रथम सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि | — 15 नवम्बर, 2025 |
| 4. प्रथम सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षाएँ पूर्ण होने की तिथि | — 30 नवम्बर, 2025 |
| 5. प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि | — 01 दिसम्बर, 2025 |
| 6. प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की अंतिम तिथि | — 15 जनवरी, 2026 |

द्वितीय / सम सेमेस्टर

- | | |
|---|-------------------|
| 7. द्वितीय सेमेस्टर का शिक्षण कार्य प्रारंभ होने की तिथि | — 05 जनवरी, 2026 |
| 8. द्वितीय सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि | — 15 अप्रैल, 2026 |
| 9. द्वितीय सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षाएँ पूर्ण होने की तिथि | — 30 अप्रैल, 2026 |
| 10. द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि | — 20 अप्रैल, 2026 |
| 11. द्वितीय सेमेस्टर का परिणाम घोषित होने की अंतिम तिथि | — 30 जून, 2026 |

उपरोक्त समस्त तिथियाँ प्रस्तावित हैं। सही तिथि एवं तात्कालिक परिवर्तनों की जानकारी के लिए छात्राएं नियमित रूप से सूचना पट देखती रहें।

— प्राचार्या

राधाबल्लभ चुन्नीलाल अग्रवाल बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(अग्रवाल कन्या शिक्षा सभा (रजि.) मथुरा द्वारा स्थापित एवं संचालित)

प्रस्तावित शैक्षिक कैलेंडर 2025-26

1. बी.ए./बी.कॉम. प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश विवरणिका	
प्राप्त करने की प्रारम्भिक तिथि	- 10 मई, 2025
2. प्रवेश हेतु साक्षात्कार प्रारम्भ होने की तिथि	- 1 जुलाई, 2025
3. स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की कक्षाएं प्रारम्भ होने की तिथि	- 14 जुलाई, 2025
4. स्नातक प्रथम वर्ष की छात्राओं एवं अभिभावकों के लिये	
ओरियंटेशन (Orientation) कार्यक्रम	- 24 जुलाई, 2025
5. स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष	
की कक्षाएं प्रारम्भ होने की तिथि	- 01 अगस्त, 2025
6. छात्रा-अभिभावक संघ बैठक	- 22 अगस्त, 2025
7. बी. कॉम. प्रथम वर्ष छात्रवृत्ति परीक्षा	- 06 सितम्बर, 2025
8. हिन्दी सप्ताह	- 07 से 14 सितम्बर, 2025
9. स्थापना दिवस कार्यक्रम	- 04 अक्टूबर, 2025
10. छात्रा अभिभावक संघ की द्वितीय बैठक	- 11 अक्टूबर, 2025
11. महाविद्यालयी साहित्यिक प्रतियोगिताएं	- चतुर्थ सप्ताह अक्टूबर, 2025
12. पुरातन छात्रा परिषद बैठक	- द्वितीय सप्ताह नवम्बर, 2025
13. मध्य सत्र परीक्षा विषम सेमेस्टर	- द्वितीय सप्ताह नवम्बर, 2025
14. अन्तर्विश्वविद्यालयी साहित्यिक एवं ललित कला प्रतियोगिताएं	- तृतीय सप्ताह नवम्बर, 2025
15. छात्रा अभिभावक संघ की तृतीय बैठक	- प्रथम सप्ताह दिसम्बर, 2025
16. विभागीय गतिविधियाँ	- द्वितीय सप्ताह दिसम्बर, 2025
17. क्रीड़ा प्रतियोगिताएं	- तृतीय सप्ताह दिसम्बर, 2025
18. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा	- तृतीय, चतुर्थ सप्ताह दिस. 2025
19. एन.एस.एस. शिविर	- तृतीय सप्ताह जनवरी, 2026
20. छात्रा अभिभावक संघ की चतुर्थ बैठक	- तृतीय सप्ताह फरवरी, 2026
21. मध्य सत्र परीक्षा सम सेमेस्टर	- तृतीय सप्ताह मार्च, 2026
22. मुख्य परीक्षा सम सेमेस्टर	- द्वितीय सप्ताह अप्रैल, 2026

उपरोक्त समस्त तिथियां प्रस्तावित हैं। वि.वि. की अधिसूचना के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। सही तिथि एवं तात्कालिक परिवर्तनों की जानकारी के लिए छात्राएं नियमित रूप से सूचना पट देखती रहें।

- प्राचार्या